

IV 112/20



उत्तर प्रदेश UT

SH

न्यास पत्र

FN 424006



हम कि नितेश राव पुत्र साहब राव निवासी रामगुलाम टोला पो 0 देवरिया थाना कोतवाली जिला देवरिया उ० प्र० का हैं। हम मुकिर समाज के आर्थिक , समाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ, तथा हम मुकिर के मन-मस्तिष्क मे अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर कि हार्दिक इच्छा है कि समाज मे सुख शान्ति, आपसी सदभाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्दश नागरिक गुणो की स्थपना हो। समाज के साधनहिन व्यक्तियो के जीवन कि मुल भत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आपस की व्यवस्था तथा शिक्षित बेरोजगार को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाये। समाज के सामुदायिक विकास मे परस्पर भाइचारा, सामप्रदायिक तालमेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने मे लिंग भेद, जाति-पाति , छुआ-छुत, धर्म और सम्प्रदाय उच्च-नीच की भावना कही से भी बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रो को अपने देश मे अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाये। जनहित के उक्त कार्यों को संचलित करने तथा उससे को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न बाधाओ मे समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओ एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक

NITESH RAO

Amit RAO

Nitesh RAO



manish kumar
Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

Manager
S. R. ACADEMY
Dihakhurd, Deoria

9896

23-10-22

प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित किया गया है कि
यह प्रमाणित किया गया है कि
यह प्रमाणित किया गया है कि
यह प्रमाणित किया गया है कि
यह प्रमाणित किया गया है कि
यह प्रमाणित किया गया है कि
यह प्रमाणित किया गया है कि
यह प्रमाणित किया गया है कि
यह प्रमाणित किया गया है कि

निदेशित कर प्रमाणित किया गया है
यह प्रमाणित किया गया है कि



manishkumar
Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria



Nitesh Kumar
Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria



उत्तर प्रदेश UT PRA PRADESH रु 10,000 / (दस हजार) रुपये का न्यास कोष स्थापित **वि 24007**

है, और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायो से धन व चल-अचल सम्पत्ति की मैं व्यवस्था करता रहूँगा। हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक

न्यास-पत्र को भी निष्पादित कर रहा हूँ। जिसकी व्यवस्था निम्नरूपेण की जायेगी तथा इसके अलावा ~~अन्य~~ ~~इसके अलावा~~ कोई धन या लाभ निहित नहीं रहेगा। ~~उपरोक्त न्यास कोष में सम्पत्ति निहित नहीं रहेगी है।~~

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम सुदर्शन राव डेवलमेन्ट ट्रस्ट होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे न्यास अथवा ट्रस्ट शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय ग्राम-डीहा खुर्द पो 0 मिखमपुर थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया उ 0 प्र 0 स्थिर होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों का सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट के द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर विदेशों में भी विधि पूर्ण कार्यों को संचायल किया जा सकेगा।
3. यह कि मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्ध भी माने जायेंगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं को ट्रस्ट की ट्रस्टी नामित करता हूँ। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जायेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास/मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

NITESH RAO

Amit Raut पेज 2

manish kumar

Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

Nitesh Rao

Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

२३४०६६

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्देशावली

चन्द्र मोहन सिंह प्रभारी

मे की। प्रत्यक्षतः अद साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिखे गए हैं।

वक रम

अनिबंधक: सदर

देवरिया

राजेश कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक



manishkumar
Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

Nitesh Kumar
Manager
S. R. ACADEMY
Dihakhurd, Deoria





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FN 424008

1. नितेश राव पुत्र साहब राव निवासी रामगुलाम टोला पो0 देवरिया थाना कोतवाली जिला देवरिया उ0 प्र0 मो0 72107374-4 सुरेश इस्टी
 2. अमित कुमार राव पुत्र साहब राव निवासी रामगुलाम टोला पो0 देवरिया थाना कोतवाली जिला देवरिया उ0 प्र0 मो0 721077755 सुरेश इस्टी
 4. यह कि हम मुक़िर द्वारा सुदर्शन राव डेवलमेन्ट ट्रस्ट के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
 2. शिक्षा एवं जानोपयोगी ज्ञान का प्रचा-प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देख-विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
 3. नवयुवक, नव युवतियों व छात्र-छात्राओं को को रचनात्मक दिश देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल इण्टरमीडिएट (10+2) व स्नातक-स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं उन्नयन के क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी-गैरतकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना तथा स्थापित करना तथा स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
 4. वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए उससे संबंधित ज्ञान को जिज्ञासुओं, प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेकनालीजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

MAHESKARAD

पेज 3

manishdeo
Principal
S.R. ACADEMY
Daha Khurd, Deoria

Nitesh Rao
Manager
S. R. ACADEMY
Dihakhurd, Deoria

आवेदन सं: 202000459012563

रजिस्ट्रेशन सं: 112

वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री नितेश राव, पुत्र श्री साहब राव
निवासी: सा० रामगुलाम टोला पो० देवरिया थाना कोतवाली
जिला देवरिया उ०प्र०
व्यवसाय: अन्य

MITESH RAO



न्यासी: 2

श्री अमित कुमार राव, पुत्र श्री साहब राव
निवासी: सा० रामगुलाम टोला पो० देवरिया थाना कोतवाली
जिला देवरिया उ०प्र०
व्यवसाय: अन्य

Amit Rao



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राधेश्याम शर्मा, पुत्र श्री नन्दलाल शर्मा
निवासी: सा० रतनपुरा पो० लाहिलपार जिला देवरिया
व्यवसाय: अन्य

राधेश्याम शर्मा



पहचानकर्ता : 2

श्री रवि बर्मा, पुत्र श्री गोरखनाथ वर्मा
निवासी: सा० रामगुलाम टोला जिला देवरिया
व्यवसाय: अन्य

Ravi Verma





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FN 424009

5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक ताल मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारीय सम्पत्ति के प्रति प्रेम राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवको तथा महिलाओ को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. लिंग भेद, जाति-पाति, छुआ-छुत धर्म और सम्प्रदाय, ऊच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/लिटरेचर आदि की व्यवस्था करना।
7. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- मेडिकल, इन्जीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पीओ सीओ एसओ, आईओ एओ एसओ में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेंट्रों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
8. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार, योजनाओं का प्रबन्ध करना।
9. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेटिंग, स्नीनिंग पेटिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टीवी ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण, कुकिंग /बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण डाइटिंग प्रशिक्षण आदि केन्द्रों की स्थापना। व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र व दवा को उपलब्ध कराना।
10. बाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
11. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार उपयोगी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कुद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

NITESH RAO

Amit Rao

पेज 4

Nitesh Rao

आवेदन सं०: 2020000959012563

नितेश राव पुत्र सहाब राव
रामगुलाम टोला पो

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 112

वर्ष: 2020

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 870 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200

श्री नितेश राव,

पुत्र श्री साहब राव

व्यवसाय : अन्य

निवासी: सा० रामगुलाम टोला पो० देवरिया थाना कोतवाली जिला देवरिया उ०प्र०

NITESH RAO

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/10/2020 एवं 02:29:02 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्र मोहन सिंह प्रभारी

उप निबंधक : सदर

देवरिया

31/10/2020

राजेश कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक

Nitesh Rao

Manager
S. R. ACADEMY
Dihakhurd, Deoria

manish Rao

Principal
S. R. ACADEMY
Dihakhurd, Deoria

31/10/2020, 2:35 PM



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FN 424010

- 12- समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे-गूंगे-बहरे, अन्धो, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निशुक्ल व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि।
13. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने - लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
- 14 महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
15. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, पुस्तकालय, खेल का मैदान, योग प्रशिक्षक केन्द्र, आगनवाड़ी, बालवाड़ी, एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
16. सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधे का उत्पादन तथा अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधे का रोपण करना।
17. चादी ग्राम उद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे संबंधित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना।
18. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
19. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिक सुविधा के साथ प्रशिक्षण हॉल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण हॉल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें तथा नेहरू युवा केन्द्र समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

manish kumar
Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

NETESH K RAO

Amit K...

पेज नं० 5

Nitesh K...
Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

आवेदन सं०: 202000959012563

22-10-20
 निवेष्टा राब प्रब कण्डबरा
 वर रमण गुप्ता लेखक के

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 95 के पृष्ठ 359 से 396 तक क्रमांक
 112 पर दिनांक 31/10/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्र मोहन सिंह प्रभारी

उप निबंधक : सदर

देवरिया

31/10/2020

manish kumar
 Principal

S.R. ACADEMY
 Diba Khurd, Deoria

Nilesh Kumar
 Manager

S. R. ACADEMY
 Dihakhurd, Deoria

31/10/2020, 2:35 PM



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FN 424011

20. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
21. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान-मसाला, गाँजा-भाँग, स्मैक, एल0 सर0 डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उसने होने वाले बीमारियों के प्रति सतर्क कराना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
21. समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे अन्ध विश्वास, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, बालश्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अशुश्रुता की भावना को दूर करना।
22. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना तथा विभिन्न त्योहारों एवं कार्यक्रमों में होने वाले भोजन तथा धन के अपव्यय की रोकथाम करना।
23. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योग, जिम्नास्टिक, जुडो-करोटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।
24. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण, दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा तथा रूढ़िगत विश्वास एवं अंध विश्वासी धर्म के स्थान पर लोक कल्याणकारी धर्म की शिक्षा देते हुए शिविर की स्थापना कराना, साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना कराना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन कराना।
25. एड्स, कैसर, टी0 बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, जलजनित, इन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं

पेज 6

manish kumar

Principal
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

WITESH KUMAR



Ami K...



Witesh Kumar

Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

निदेशावत प्रव सादर
क सा गुणक जेना

[Illegible handwritten text]



manishdeo

Principal
S.R. ACADEMY
Dihra Khurd, Deoria

Nilesh Rao

Manager
S. R. ACADEMY
Dihakhurd, Deoria



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FN 424012

सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज / होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय / पैरा मेडिकल-महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालय, नर्सिंग होम की स्थापना करना।

26. सरकार की सहायता से गावों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़पूजा, पिच, पार्क शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था कराना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्पलागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा की नीचे जाने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

27. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी तकनीकी का उपयोग करना तथा नये-नये शोषित बीजों को उगाते उनसे संबंधित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों को शिविर लगाकर उनसे प्रेरित / जागरूक एवं प्रशिक्षित कराना तिलहन दलहन तथा बागवानी के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

28. वर्मी कम्पोस्ट एवं शाक-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।

29. बंजर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।

30. प्राकृतिक आपदा जैसे-हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग सुखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा इसके लिए लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग व शासन/प्रशासन का सहयोग प्राप्त करना।

31. तत्काल सुविधा पहुंचाने हेतु, सड़क/ट्रेने/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मोबाइल दमरजेन्सी एम्बुलेंस/वैन की व्यवस्था करना।

Netesh Rao

Amit Rao

पेज 7

manishdoo

Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

Nitesh Doo

Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FN 42401-3

32. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए कौंसिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके। गरीब लोगों व महिलाओं के कानूनी, सामाजिक आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

33. न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

34. सरकारी/अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य:—

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं, ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

2. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु तक इसके विभिन्न इकाइयों को सुचारु व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों को गठन करना।

3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं एवं समितियों के सुचारु संचालन हेतु समिति पंजीकृत अधिनियम के अनुसार उनकी अलग-अलग नियमावली व उप नियमों को बनाना।

4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु करना।

5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा

manish kumar

Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

NIPESH K RAO

Amit K

पेज 8

Nishu Rao

Manager
S. R. ACADEMY
Dihakhurd, Deoria



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 892071

हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध, केन्द्रों, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों लिए आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्ति करना और नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण व व्यवहार नियमावली तैयार कर उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी विभागों से दान उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट मण्डल मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80 जी0 जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।
12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाला शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड युनिवर्सिटी इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

manish kumar
Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

NITESH KUMAR

Amit Rao

पेज 9
Nitesh Kumar
Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 877616

6- ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था :-

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन-

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा-

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुक़िर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्ट के अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छया से त्याग पत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किए गए ट्रस्टियों का कार्य अधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किनही परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा, और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किए जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

manish kumar

Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

NETESH KUMAR

Amit kumar

पेज 10

Nitesh kumar

Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 877620

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्युट के प्राचार्य शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्युट की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उनके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार संबंधित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्युट के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किए गए खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

पेज 11

NTRESKRAB

Amit Rao.

manishdas

Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

Nilesh Das

Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 892072

(ख) - ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन :-

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता को समझी जायेगी। कोई भी किया-कालापो पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फसला अन्तिम होगा।

7- मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी /प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्धक के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार के घन को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्टगण को देना।
5. ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
6. ट्रस्ट की ओर ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से संबंधित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
7. ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों सहित मुख्य मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।

पेज 12

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 892073

9. ट्रस्ट की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
 10. ट्रस्ट की आय-व्यय की रिपोर्ट मैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षक कराना।
 11. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना।
- 8- ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था :-

ट्रस्ट के कोष के सुचारु रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकाघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट की प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋणराशियां निहित होंगी। ट्रस्ट के नाम खोज गये खातों का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुचय ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. ट्रस्ट के अभिलेख :-

ट्रस्ट के अभिलेखों के तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10- ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था :-

ट्रस्ट की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी —

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे की मुख्य ट्रस्टी समझे अधिकृत होंगे। मुख्य ट्रस्टी के हित में बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की सम्पत्ति को बन्धक रख सकेगा।

manishdas

Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

NIRUPA RAO

Amit Rao

पेज 13

Nilesh Das

Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 892074

- मुख्य ट्रस्टी की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने लिये भूमि एवं भवन कार्य कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराया पर दे सकेंगे या बेच सकेंगे।
- ट्रस्ट की सम्पत्ति की क्षति पहुँचाने या दुरुप्रयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा।
- ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यादिकिसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।
- ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा। जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्ट द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अध्ययन बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा, अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
- ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

manishadas

Principal
S.R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria

NRBEKRAO

Amit Rao

पेज 14

Nilesh Das

Manager
S. R. ACADEMY
Dihak Khurd, Deoria



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 892075

9- ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही उपयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होगी।
घोषणा

सुदर्शन राव डेवलमेन्ट ट्रस्ट की की तरफ से हम नितेश राव मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवा कर पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

नितेश राव के पत्नी श्री. नितेश राव मेरठिया
NITESH RAO

Amit Rao

हस्ताक्षर साक्षीगण

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

श्री. रवि कुमार शर्मा पुत्र नन्द लाल शर्मा
जन्म- २००० पुरा पो. लखिमाटा जिला- देवीघा
मो. - 9889396499

दिनांक

श्री. रवि कुमार शर्मा पुत्र श्री. जोरख नन्द वरमा
राम गुलाम होला जिला देवीघा
मो. - 9889396499

मजमूनकर्ता / दस्तावेजकर्ता

आजम कुमार श्रीवास्तव
29-10-2020



manish kumar

Principal
S.R. ACADEMY
Daha Khurd, Deoria

Nitesh Rao

Manager
S. R. ACADEMY
Dihakhurd, Deoria